भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3203

जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निधियों का आबंटन

3203. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के जलपाईगुड़ी और बोलंगीर जिलों में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत क्रमश: कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जिलों के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन, भूमिगत केबल, एरियल बंच्ड केबल आदि जैसे कार्यों सहित उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीमों के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधियाँ का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछली किस्तों में जारी निधियाँ के उपयोग की रिपोर्ट और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर किस्तों में निधियाँ जारी की गई थीं।

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति की सिफारिश सहित आईपीडीएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्य को यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर इस स्कीम के दिशानिर्देशों

के अनुसार सर्किल-वार मंज़ूरी दी गई थी। आईपीडीएस के अंतर्गत, जलपाईगुड़ी सर्किल, पश्चिम बंगाल तथा बलांगीर सर्किल, ओडिशा को जारी किए गए भारत सरकार के अनुदान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	**सर्किल**	**पात्र परियोजना समापन लागत**	**भारत सरकार कुल संवितरित अनुदान***
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	40	24
ओडिशा	बलांगीर	47	28

***इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्यता के आधार पर**

जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल तथा बलांगीर जिला, ओडिशा में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियाँ के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	**जिला**	**स्कीम**	**समापन लागत**	**जारी जीबीएस**
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	डीडीयूजीजेवाई	157.64	114.8
ओडिशा	बलांगीर	डीडीयूजीजेवाई-आरई-12वीं योजना*	228.16	126.93
		डीडीयूजीजेवाई	73.79	44.42

*वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गईं आरई परियोजनाएं

(ख) और (ग) : भारत में विद्युत क्षेत्र विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले देश में परिवर्तित हो गया है। विभिन्न स्रोतों से कुल 1,93,794 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हासिल की गई है - जिससे क्षमता मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से 70 प्रतिशत बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 4,25,536 मेगावाट हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए परिवर्तन क्षमता एवं 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को जोड़ा गया है, जिससे पूरे देश को 1,16,540 मेगावाट परिवर्तित करने की क्षमता के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ा गया है।

भारत सरकार की आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अन्तर्गत, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से कम होकर वर्ष 2022-23 में 15.41% (अनंतिम) हो गई हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) भी शुरू की।

उपरोक्त वितरण क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत, 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं, जिसके अंतर्गत देश के 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और देश के 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इस प्रकार देश के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, जिसके लिए संतृप्तता प्रमाण पत्र भी दिया गया था।

इसके साथ-साथ, 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है और राज्यों में 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है।

भारत सरकार ने देश के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 97,631 करोड़ रुपए के सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को मंजूरी भी दे दी। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार उन गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए भी राज्यों का समर्थन कर रही है जो सौभाग्य के अंतर्गत छूट गए थे।

इसके साथ-साथ, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सभी अभिचिन्हित लाभार्थी घर इन दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

****